ग्रौर पढ़े-लिखे लोग ग्रनपढ़ लोगों के द्वारा सोसाइटियों से फायदा उठाते हैं ग्रौर इन लोगो को ग्राखिर मे वह रुपया देना पड़ता है।

जहां तक तालीम का सवाल है, ग्रभी यह कहा गया है कि जर्मनी ग्रौर हालैंड मे को-ग्रापरेटिव सोसाइटिया बहुत ग्रच्छा काम कर रही हैं। लेकिन मैं यह ग्रर्ज करना चाहता हू कि वहा पर एजूकेशन भी बहुत ज्यादा है। ग्रगर हम एजूकेशन की ग्रोर ध्यान दें, तो यह मूवमेंट भी हमारे मुल्क मे ग्रासानी के साथ चल सकता है। हमारे यहा को-ग्रापरेटिव यूनियन की तरफ से को-ग्रापरेटिव के बारे में शिक्षा दी जा रही है लेकिन यह रामायण की कथा तो नही है कि ग्रनपढ़ लोग इसे ग्रच्छी तरह से समझ जायें। इसमें तो रुपये पैसे का मामला होता है ग्रौर जब तक हम इन लोगों को यह चीज ग्रच्छी तरह से नही समझाते तब तक हमारा मूवमेंट ग्रच्छी तरह से नही चल सकता है। इसलिए इसके लिए यह जरूरी है कि हम इन लोगो को तालीम दे ताकि यह मूवमेंट ग्रासानी के साथ चल सके।

ग्रब एक इलैक्शन का सिलसिला भी इसमें ग्राता है जिसमे काफी छीनाझपटी होती है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इन सोसाइटियों में पोलिटिक्स घुस गया है, उसी तरह से इलैक्शन के जरिये गरीब लोगों को पोलिटिक्स में इन्टैंगिल कर लिया जाता है ग्रौर इस तरह से इन लोगो को झगड़े मे फसा लिया जाता है। इसलिए मै यह कहना चाहता हू कि जहां तक इलैक्शन का सवाल है उसके रूल्स भी तब्दील होने चाहियें।

जहा तक बोगस को-ग्रापरेटिव सोसाइटियों का सवाल है, इनके बारे मे बहुत कुछ कहा गया है। लेकिन मैं एक बात ग्रर्ज करना चाहता हूं कि बोगस सोसाइटियों को बनाने की जिम्मेदारी किस पर है। ये जो बोगस सोसाइटिया बनाई जाती है, उनके बनाने के बारे मे मैं समझता हू कि सरकारी कर्मचारी ही जिम्मेदार हैं, क्योंकि वे ही सोसाइटियों को रजिस्टर करते हैं ग्रौर उन्हीं की वजह से इस तरह की सोसाइटिया रजिस्टर होती हैं। ये सोसाइटिया इसलिए रजिस्टर होती हैं, ताकि इन्कम टैक्स से बचा जा सके, जो लैण्ड सीलिंग है, उससे बचा जा सके। जहा सोसाइटिया बनाने का टार्गेट है, सरकारी कर्मचारी उनको पूरा नहीं कर पाते ग्रौर वे नालायक साबित न हों इसलिए वे टार्गेट को पूरा करने के लिए इस तरह की सोसाइटियां बना देते हैं। इसलिए मै यह ग्रर्ज करना चाहता हूं कि यह टार्गेट का सिलसिला नही रहना चाहिये।

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr Varma, how much more time will you take?

SHRI C. L. VARMA: About three minutes more.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Well let the Minister for Parliamentary Affairs make a statement now. Mr. Sinha.

---

1 P.M.

ANNOUNCEMENT *RE* GOVERNMENT BUSINESS

THE MINISTER OF COMMUNICATIONS AND PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI SATYA NARAYAN SINHA): With your permission, Madam, I rise to announce that the Government Business in this House during the week commencing 28th September, 1964, will consist of:—

(1) Further consideration of the Wakf (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

(2) Consideration and passing of the Companies (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

[Shri Satya Narayan Sinha.]

(3) Consideration and return of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

The Legal Tender (Inscribed Notes) Bill, 1964,

The Appropriation (No. 5) Bill, 1964,

The High Court Judges (Conditions of Service) Amendment Bill, 1964.

(4) Consideration and passing of the following Bills, as passed by Lok Sabha:—

The Representation of the People (Amendment) Bill, 1964.

The Kerala State Legislature (Delegation of Powers) Bill, 1964.

(5) Consideration and return of the Direct Taxes (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

(6) Consideration and passing of the State Bank of India (Amendment) Bill, 1964, as passed by Lok Sabha.

(7) Discussion on the Resolution approving the Proclamation issued by the President under Article 356 of the Constitution in relation to the State of Kerala on Wednesday, the 30th September, after disposal of Questions.

RESOLUTION *RE.* APPOINTMENT OF A PARLIAMENTARY COMMITTEE TO ENQUIRE INTO AGRICULTURAL CO-OPERATIVES AND SUGGEST MEASURES FOR STRENGTHENING THEM—*continued.*

THE DEPUTY CHAIRMAN: Shri Varma, now you may take three more minutes and finish your speech.

श्री सी० एल० वर्मा : मैं यह कह रहा था कि बोगस को-आपरेटिव सोसाइटीज क्यों बनती हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि वे या तो इन्कम टैक्स इवेड करने के लिये या लैंड सीलिंग से बचने के लिये या जो सब्सिडी मिलती है उसको हासिल करने के लिये बनती है। मैं समझता हूं कि यह सब्सिडी वाला सिस्टम जो है, यह बिलकुल गलत है, इससे न सोसाइटीज को फायदा होता है और न लोगों को फायदा होता है, बल्कि चन्द आदमी इसका फायदा उठा करके और इसको इधर उधर करके खत्म कर देते हैं। इसके अलावा अगर किसी डेलीगेशन या किसी डेपुटेशन को दूसरे मुल्कों में जाना हो, तो जब तक किसी सोसाइटी की नुमायन्दगी आपके पास न हो, आपका काम नहीं चल सकता है। इसलिये लोग कोई सोसाइटी बना लेते हैं और उसकी नुमायन्दगी हासिल करके दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं और वहां सैर सपाटा करके वापस आ जाते हैं। मैंने खुद देखा है कि एग्रीकल्चरल फार्मिंग के सिलसिले में बहुत से अमेरिका जाते हैं, लेकिन वहां से वापस आ कर वे एग्रीकल्चर फार्मिंग नहीं चलाते हैं। खुद मेरी स्टेट से बहुत से गये और वापस आकर या तो कहीं नौकर हो गये हैं या अपने घर में ही उन्होंने कोई छोटा मोटा काम कर लिया है। इस तरह जिस काम के लिये उनको भेजा गया था, उससे न मुल्क का फायदा हुआ और न इलाके का फायदा हुआ।

आखिर में मेरा महज यह कहना है कि अगर इस एक्ट में कुछ रद्दोबदल हो जाय, तो जो इस वक्त कमियां बतलाई जाती हैं को-आपरेटिव सोसाइटियों के अन्दर, ये दूर हो जायेंगी और अगर हम चाहते हैं कि अच्छी कोआपरेटिव सोसाइटियां बनें और वे अपना काम अच्छी तरह से कर के मुल्क का फायदा कर सकें, तो इसके अलावा और हमारे पास कोई चारा नहीं है।

आपका बहुत बहुत धन्यवाद।